

भूमि सुधार उप-समाहर्ता का न्यायालय, जामताड़ा

आदेश पर क.  
कार्रवाई के व  
टिप्पणी तारी  
सहित

आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर

आदेश फलक

वाद सं० - 115/ 2005-06

छोटेलाल टुडू :-

प्रथम पक्ष

:- बनाम :-

16/- आना रैयत मौजा :- चकलाथाथोल


द्वितीय पक्ष

आदेश

अभिलेख उपस्थापित ।

नोटिस का तामिला प्राप्त है। आवेदक नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। आवेदक की ओर से कोई पैरवी नहीं की जा रही है। प्रतीत होता है, कि आवेदक को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है।

अतः पैरवी के अभाव में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
जामताड़ा ।